संख्या-134/2024/ रा0क0सा0सं0 /001-21-4002-002-1-2024

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान,
लखनऊ ।

भाषा अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 26 जून, 2024

विषयः-वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधानित बजट के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रू0 21,50,000/- अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-559/06/2024/अनुदान, दिनांकः 24 जून, 2024 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, लखनऊ को राज्य कर्मचारियों को उनकी साहित्यिक सेवा के लिए सम्मानित किये जाने हेतु अनुदान संख्या-39 के अंतर्गत गैर वेतन मद(20) में गत वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवशेष धनराशि रूपये 1,00,000/- को समायोजित करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रूपये 21,50,000/- (रूपये इक्कीस लाख, पचास हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं -

1- उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में आहरण एवं वितरण अधिकारी, भाषा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आहरित करके अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, लखनऊ को भुगतान की जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से एक मुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जायेगी तथा उक्त धनराशि को राजकोष से आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में उसी प्रयोजन के लिए व्यय की जायेगी, जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है तथा इसका व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/विभाग को अवश्यकक उपलब्ध कराया जाय।

4- उक्त पुरस्कार का वितरण शासन द्वारा अनुमन्य पुरस्कार नियमावली के अनुसार ही किया जायेगा।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि वचनबद्ध मदों पर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मितव्ययिता सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी। उक्त अनुदान पर वही नियम लागू होंगे जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के अध्याय-16 में उल्लिखित नियमावली में दिये गये है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 21,50,000 (रुपये इक्कीस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 039 **लेखा शीर्षक** 2202031041000 राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान लखनऊ को राज्य कर्मचारियो को उनकी मौलिक साहित्यिक सेवा के लिये पुरस्कृत किये जाने के लिये अनुदान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(जितेन्द्र कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-134/2024/रा0क0सा0सं0/001-21-4002-002-1-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी, भाषा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 उत्तर प्रदेश शासन।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
9- भाषा (उर्दू) अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन।
10- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(उपमा)
अनुसचिव(भाषा)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।